

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित द्वारा 16 एल.आर. 192 2025

ग्रामीण सेवा शिवि -2025

ग्राम पंचायत.....*सिरोपोंडा*.....

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम *खेडासमोरिया* जमाबंदी से के खाता सं *74* में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज लिपिकानुसार अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाना अन्तर्गत धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाना सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	जामान इन्द्राज / बुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रमाणित)
1	2	3	4	
<i>74</i>	<i>बालीबाई 0/0 हीरा सुगनबाई 0/0 हीरा शमीबाई 0/0 स्व. हीरा जाति चमार, निवासी समोरिया</i>	<i>74</i>	<i>जाति - चमार</i>	<i>जाति - मैथवल</i>

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

- बालीबाई 0/0 हीरा*
- सुगनबाई 0/0 हीरा*
- शमीबाई 0/0 स्व. हीरा*
- राजबंद सुगनबाई जाति हीरा नि-समोरिया*

हस्ताक्षर
शमीबाई
सुगनबाई
शमीबाई
शमचण्ड

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र त आसार ग्राम *खेडासमोरिया* में दर्ज जातिकाशी भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में गलत इन्द्राज लिपिकानुसार उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाना अन्तर्गत धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित होने योग्य है।

शमचण्ड
हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। अजराय रिकार्ड में दर्ज बुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

शमचण्ड
9/11/2025
04/11/2025



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/934

दिनांक 04/10/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अगिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम खेडा सतवोदिमा के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

सुनेल
तहसीलदार
मुनेल (भारतवादी)

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/277

दिनांक: 04.11.25

वादी/प्रार्थी के ग्राम खेडा सतवोदिमा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तुतित वादियों के राजस्व रिकार्ड में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



सुनेल
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)